राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क) (N–232) अलेसे–I/ 3749 दिनांकः– 03-06-24

आदेश

विभागीय आदेश संख्या 72/2023–24 दिनांक 03.01.2024 (क्रम संख्या 03) के द्वारा श्री नन्दसिंह चन्द्रावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I के सेवानिवृत्ति आदेश जारी किये गए थे, परन्तु तत्समय श्री चन्द्रावत के विरूद्ध उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 3093 दिनांक 04.11.2023 द्वारा भ्रष्टाचार अधिनियम, 2018 में संयुक्त जांच विचाराधीन होने के कारण इन्हें "जांच बकाया नहीं" होने का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था। अधीक्षक, जे.के.लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा के पत्र क्रमांक 1060 दिनांक 17.05.2024 के द्वारा श्री चन्द्रावत के विरूद्ध भ्रष्टाचार अधिनियम, 2018 में संयुक्त जांच प्रस्तावित/लंबित नहीं होने के कारण प्रकरण एतद् द्वारा समाप्त कर दिया गया।

अतः वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री नन्दसिंह चन्द्रावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय अधीक्षक, जे.के.लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा के विरूद्ध आदिनांक से :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अधीन कोई विशेष प्रकिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(भूपेश माथुर)
निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकः– एफ.2 (क) (N–232) अलेसे–I/ 3750-55 दिनांकः– 03-06-24

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अधीक्षक, जे.के.लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा।
3. कोषाधिकारी, कोटा।
4. श्री नन्दसिंह चन्द्रावत, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड–I, कार्यालय अधीक्षक, जे.के.लोन मातृ एवं शिशु चिकित्सालय, कोटा।
5. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
6. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.raj.nic.in, E-Mail Id - jdp-ta-rj@nic.inFax-2740735, Tel.- 2744134

F:\2022\Kailash Ji\Orders.doc